LT-8928/75

PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, PART II,
SECTION 3(i) AS G.S.R. NO. 1332 DT. 14.12.1974

....

Government of India (Bharat Sarkar)
Ministry of Steel and Mines (Ispat Aur Khan Mantralaya)
Department of Mines (Khan Vibhag)

New Delhi, the 28th November, 74
Agrahayana 7, 1896 S.E.

NOTIFICATION

G.S.R. 1332 In exercise of the powers conferred by section 13 of the Mines and Minerals (Regulation and Development) Act, 1957 (67 of 1957), the Central Government hereby make the following rules further to amend the Mineral Concession Rules, 1960, -

1. (1) These rules may be called the Mineral Concession (Third Amendment) Rules, 1974.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Mineral Concession Rules, 1960, -

(i) the existing rule 29 shall be renumbered as sub-rule (1) of rule 29 and after sub-rule (1) the following sub-rule shall be added, namely ; -

"(2) Every application for the surrender of a part of lease-hold area in accordance with the provisions of sub-rule (1), shall be accompanied by a deposit of two hundred rupees for meeting he the expenditure for the purpose of survey and demarcation of the area to be surrendered:

Provided that the lessee shall deposit such further amount, not exceeding two hundred rupees, as may be demanded by the State Government for

2/--------

meeting any additional expenditure for the said purpose within one month from the date of demand of such deposit: Provided further that where the whole or any part of the amount deposited has not been expended, it shall be refunded to the lessee."

File No. 1(30)/72-MVI

Sd/-
(R.K.NAYAK)
DEPUTY SECRETARY TO THE GOVT. OF INDIA.

To

The Manager,
Government of India Press,
Mayapuri Industrial Area,
Near Rajouri Garden,
New Delhi.

LT-8928/75

(भारत के राजपत्र के भाग II, खण्ड 3(I) में जी० एस० आर० 1332 के रूप में दिनांक 14-12-74 को प्रकाशित)

भारत सरकार

इस्पात और खान मंत्रालय

(खान विभाग)

नई दिल्ली, 28 नवम्बर, 1974 / 7 अग्रहायण, 1896 (शक)

अधिसूचना

जी० एस० आर० 1332 खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार, खनिज रियायत नियमावली, 1960 में और आगे संशोधन के लिए एतद्द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती है :-

1. (1) इन नियमों को खनिज रियायत (तृतीय संशोधन) नियमावली, 1974 कहा जाएगा ।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे ।

2. खनिज रियायत नियमावली, 1960 में, -

(i) विद्यमान नियम 29 को नियम 29 का उप नियम (1) कहा जाएगा और उप नियम (1) के बाद, निम्नलिखित उप नियम जोड़ा जाएगा, अर्थात् :

"(2) उपनियम (1), के प्रावधानों के अनुसार, पट्टे पर लिए गए क्षेत्र के किसी भाग की वापसी के पृथक आवेदन पत्र के साथ, वापस लिए जाने वाले क्षेत्र के सर्वेक्षण तथा सीमांकन के व्यय को पूरा करने के लिए, दो सौ रुपए जमा करने होंगे ।

किन्तु पट्टाधारी को, उक्त कार्य के किसी अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए, राज्य सरकार की मांग पर, एक महीने के भीतर, ऐसी अतिरिक्त धनराशि, जो दो सौ रुपए से अधिक न हो, जमा करनी होगी ।

आगे शर्त यह है कि जहाँ, जमा की गई कुल या कुछ राशि व्यय नहीं की गयी हो तो वह पट्टाधारी को वापस कर दी जाएगी ।

फाइल सं0 1(39)/72-खान-6

हस्ता0

(आर0 के0 नायक)

उप सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

प्रबन्धक,

भारत सरकार मुद्रणालय,

मायापुरी, औद्योगिक क्षेत्र,

उत्तरी राजौरी गार्डन,

नई दिल्ली ।